न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 18 / 2021

अपीलार्थी – *बनाम* **उत्तरदाता –**

भारमल पुत्र रिडमलराम जाति बिश्नोई निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

1. तहसीलदार सिवाना
2. बुद्धाराम पुत्र रूपाराम जाति बिश्नोई निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.10.2020 जो प्रकरण सं. 01 / 2020 में तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री भजनलाल गोदारा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री राणाराम गौड़, उत्तरदाता संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 02.05.2022

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रकरण सं. 01 / 2020 सरकार बनाम भारमल में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हलका पादरू द्वारा तहसीलदार सिवाना के समक्ष दिनांक 19.08.2020 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम प[illegible] से [illegible] की ओर जाने वाले कटान रास्ता खसरा नंबर 362 कुल रकबा 2.6304 हैक्टर [illegible] गैर–मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमियों ने मौके पर [illegible] कर अतिक्रमण किया है। अतः आवश्यक कार्यवाही की जावे। हल्का [illegible]वारी द्वारा प्रस्तुत [illegible] पर तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:24:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर बाड़मेर

अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा अपना जवाब प्रस्तुत किया। तहसीलदार सिवाना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं गैर सायल के जवाब का परीक्षण एवं विवेचन उपरांत गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 08.10.2020 के द्वारा 09/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 06.11.2020 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलकर्ता की कदीमी खातेदारी एवं कब्जा–काश्त का खेत खसरा नंबर 331, 376 मौजा पादरू में आया हुआ है, जिसमें अपीलकर्ता की ढाणी, ट्यूबवैल, पानी की होदी, चारबाडे, टांके इत्यादि बने हुए हैं। अपीलकर्ता द्वारा सरकारी भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलकर्ता के खेत के पश्चिम दिशा में गैर मुमकीन रास्ता मौके पर आज भी कदीमी रूप से चल रहा हैं किन्तु तहसीलदार सिवाना ने गैर कानूनी रूप से खातेदार की खातेदारी एवं कब्जा–काश्त की भूमि की पैमाईश किये बिना, राजनैतिक दबाव एवं गांव के प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर अपीलकर्ता के पुश्तैनी कब्जा–काश्त की कदीमी खातेदारी से बेदखल करने एवं खड़ी फसल को जब्त कर कुर्क करने एवं नीलाम करने का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध रूप से जारी किया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों ने [illegible] में मार्ग की तरमीम गलत रूप से अपीलांट के खेत [illegible] उक्त गलत तरमीम की आड़ में अपीलांट को तंग व परेशान कर अपीलांट के निवास स्थान, ट्युबवैल, चार बाड़े, टांके, पानी की होदी आदि को अवैध रूप से हटाने एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:24:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट के खेत में खड़ी फसल को कुर्क कर नीलाम करने पर आमादा हैं। अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड में दर्शाये गलत मार्ग की तरमीम दुरूस्ती हेतु उपखण्ड अधिकारी सिवाना के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें मौके पर चल रहे मार्ग का भौतिक मौका मुआयना करने एवं वास्तविक रूप से मौका पर चल रहे मार्ग अनुसार तरमीम करने हेतु निवेदन किया गया हैं जो विचाराधीन हैं। अतः उक्त आवेदन के विचाराधीन होने एवं निस्तारण तक अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं हैं तथा इस आधार पर अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से जवाब मे राजकीय अभिभाषक ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम पादरू के खसरा नम्बर 362 रकबा 2.6304 किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी भूमि मे से 0.1537 हैक्टर भूमि पर फसल बोकर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौरान सुनवाई अपीलांट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा जवाब प्रस्तुत किया गया है जो तथ्यों के परे एवं प्रतिरक्षण का ठोस आधार नहीं होने से मनगढ़त तथ्य मानते हुए अतिक्रमी घोषित किया गया हैं। अपीलांट द्वारा गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर फसल बोकर अवैध कब्जा किया हैं तथा इसके प्रतिरक्षण स्वरूप कोई साक्ष्य–सबूत नहीं है। इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:24:41 IST
Reason: SelfAttested

6. रेस्पोडेंट सं. 2 के अधि[illegible] किया कि अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 331 व 376 के मध्य से एक कदीमी रास्ता राजस्व रेकर्ड में वक्त सैटलमेंट से दर्ज हैं, जिसके खसरा नम्बर 362 हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट ने उक्त रास्ता को अवरूद्ध करते हुए अवैध रूप से रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं इस रेस्पोडेंट सं. 2 की शिकायत पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती भूल नहीं की गई हैं। अपीलांट अपनी हठधर्मिता के कारण रास्ते की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर राहगीरों एवं आम जनता के हितों पर कुठाराघात करने पर आमादा हैं ऐसी स्थिति में अपीलांट की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारिज फरमाई जावें।

7. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा ग्राम पादरू में अपना खातेदारी खेत एवं कब्जा–अधिपत्य होना प्रकट किया है, तथा यह भी प्रकट किया कि उक्त खेत के समीप ही कदीमी रास्ता चल रहा हैं जिसकी राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत तरमीम करने पर उक्त तरमीम दुरूस्ती हेतु एक राजस्व आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी सिवाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं जो विचाराधीन है। अपीलांट के अधिवक्ता का यह भी कथन हैं कि उक्त कदीमी रास्ता जो मौके पर चल रहा हैं उसका राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं होने से, अपीलांट द्वारा उक्त कदीमी रास्ता हेतु भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की, जिसका तहसीलदार सिवाना द्वारा दिनांक 12.02.2022 को समर्पण स्वीकार किया है तथा नामान्तरकरण राज्य सरकार के पक्ष में पारित किया जा चुका हैं। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया हैं कि राजस्व अधिकारियों द्वारा विवादित खसरा नम्बर 362 की तरमीम वास्तविक रूप से मौके पर जहां रास्ता कदीमी तौर पर चला रहा था वहां से भिन्न स्थान पर कर दी जिससे मौके एवं रेकर्ड में भिन्नता हो गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया हैं कि ... रास्ता ... कदीमी रूप से आज भी चला रहा हैं तथा अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से रास्ते हेतु समर्पण की गई

भूमि एवं मौके पर कदीमी रास्ते के बारे में अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया हैं और न ही अपीलांट के जवाब के परिप्रेक्ष्य में पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई हैं, ऐसे में धारा 91 के तहत बिना मौका कब्जा की वास्तविक स्थिति रेकर्ड पर लिये अतिक्रमण का निश्चय नहीं किया जा सकता हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की कार्यवाही एक सरसरी जांच कार्यवाही है जिसके द्वारा मौके कब्जे की विस्तृत जांच एवं वास्तविक तथ्यों के बारे में संतुष्टि आवश्यक है किन्तु हस्तगत प्रकरण में इसका अभाव रहा है, जिससे अपीलाधीन कार्यवाही दूषित एवं अपूर्ण होना प्रतीत होता है। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2020 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि विवादित चालू रास्ता की वास्तविक स्थिति की स्वंय मौके पर जांच करें तथा किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जावें तो अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें।

9. निर्णय आज दिनांक 02.05.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:24:41 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर